2रु. 2रु. 2रु. 2रु. 2रु. 2रु. 2रु. 2रु. 2रु. 2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

113

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक निगरानी 293-I-15 सन् 2015

1. भगवानदास तनय बारेलाल अहिरवार
2. मुनिया बाई पुत्री श्री मनका अहिरवार .
3. श्यामलाल तनय मिजाजी अहिरवार
4. भागीरथ तनय मनमोहन अहिरवार

निवासी ग्राम – सांदनी, तहसील – राजनगर,
जिला – छतरपुर म0 प्र0 .... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. शिवराज सिंह तनय जुझार सिंह
2. सरदार सिंह तनय जुझार सिंह

निवासी ग्राम – सांदनी , तहसील – राजनगर,
जिला – छतरपुर म0 प्र0 .... गैरनिगरानीकर्तागण

श्री के० के० द्विवेदी, अभि० द्वारा आज दि० 5-2-15 को प्रस्तुत
5-2-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर के प्रकरण क्र0 26/अ–19/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2014 से परिवेदित होकर निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959</u>

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करते है :–

निगरानी के तथ्य

5.2.15 K.K. Dwived.

1. यह कि निगरानी तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सांदनी तहसील राजनगर जिल छतरपुर म0 प्र0 स्थित भूमि खसरा नं0 2, 3 राजस्व अभिलेख में पूर्व से म0प्र0 शासन दर है , जो वर्ष 1992 से 1998 तक लगातार म0प्र0 शासन दर्ज चली आ रही थी । उक्त भूमि का न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, बसारी के प्रकरण क्र 57/अ–19/1997–98 आदेश दिनांक 28.08.1998 एवं प्रकरण क्र 30/अ–19/2001–02 आदेश दिनांक 11.07.2002 के द्वारा विधिवत् बंटन प्रक्रिया व पालन करते हुये निगरानीकर्तागणों को उक्त भूमि का पट्टा प्रदान किया गया थ पट्टेधारी द्वारा बंटन में प्राप्त हुई भूमि को समतल कराया और उसका समुचित विकास

श्यामलाल मनमोहन

क्रमशः //2/

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 293/एक/2015 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9.9.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 26/ अ–19/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 08.01. 2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम सांदनी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2, 3 राजस्व अभिलेखों में पूर्व से म0प्र0 शासन दर्ज थी। उक्त भूमि का पट्टा तहसीलदार बसारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 57/अ–19 /1997–98 में पारित आदेश दिनांक 28.08. 1998 एवं प्रकरण क्रमांक 30/अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2002 से विधिवत रूप से किये गये थे। तत्पश्चात् उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 21.09.2005 से निरस्त कर दी गयी। इसके बाद अनावेदकगण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 08.01.2014 से स्वीकार की गयी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। 4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को भूमि का आबंटन विधिवत रूप से किया गया था, जिसके पश्चात् उनके द्वारा भूमि में सुधार उसे कृषि योग्य बना लिया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा उपरोक्त	

तथ्य पर विचार किये बिना भूमि का आबंटन निरस्त किया है, अतः ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाये तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि वर्तमान प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र का है, ऐसी स्थिति में प्रकरण की सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि उपरोक्त अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है, अतः वर्तमान निगरानी इसी आधार पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– विचार योग्य है कि क्या राजस्व मण्डल को राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत अपील/निगरानी सुनने के अधिकार है अथवा नहीं? माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बानमोर सीमेंट वर्क्स लिमि0 (मेस.) मुरैरा विरूद्ध म0प्र0 राज्य 2012 रा0नि0 385 में व्यवस्था दी है कि:–

"Maintainability of appeal – order passed by Revenue Officer under provision of M.P. Revenue Book Circulars – appeal against such order is maintainable before Board of Revenue."

अतः राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत विचारित कार्यवाहियों में आयुक्त/अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील/निगरानी सुनने की अधिकारिता राजस्व मण्डल को है, जिसके कारण शासकीय अभिभाषक का तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

7– आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार किया एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए भूमि का आबंटन आवेदकगण को किया गया था, जिसके पश्चात् उनके द्वारा भूमि में सुधार कार्य करके उसे कृषि उपयोगी बना लिया है तथा वह वर्तमान समय में कृषि उपयोगी हो गयी है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश के पालन में जो कार्यवाही कर नायब तहसीलदार मण्डल बसारी द्वारा आवेदकगण के

आबंटन को निरस्त मानकर राजस्व अभिलेखों में जो इन्द्राज दिनांक 29.09.2014 को किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि आवेदकगण के पट्टों के संबंध में ना तो अपील प्रस्तुत की गयी है और ना उन्हें प्रस्तुत अपील में पक्षकार ही बनाया गया था, ऐसी स्थिति में उन्हें सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना जो आदेश अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण होने से आवेदकगण के हितों तक समाप्त किया जाता है तत्पश्चात् नायब तहसीलदार बसारी द्वारा की गयी कार्यवाही आवेदकगण के हितों तक समाप्त की जाती है।

8– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा 26/अ–19/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2014 आवेदकगण के हितों तक त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं नायब तहसीलदार मण्डल, बसारी द्वारा राजस्व अभिलेखों में किया गया इन्द्राज दिनांक 29.09.2014 आवेदकगण के हितों तक समाप्त किया जाता है एवं नायब तहसीलदार मण्डल, बसारी को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदकगण का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें। यह आदेश केवल आवेदकगण पर प्रभावशील होगा।

सदस्य